भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 949

दिनांक 8 फरवरी, 2022 के लिए प्रश्न

विषय: पशुपालन का विकास

949. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री मनोज तिवारी:

श्री रवि किशन:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री रविन्दर कुशवाहा:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पशुपालन के विकास के लिए सरकार द्वारा तैयार की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पशुपालन क्षेत्र में नई और नवीनतम तकनीक का प्रयोग करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का डेयरी उद्योग को गति देने के लिए उच्च उत्पादकता वाले पशु नस्लों और कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रिया को आयात करने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना के तहत आवंटित और जारी की गई राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) और (ख)- सरकार देश भर में बोवाईनों और जुगाली करने वाले छोटे पशुओं (भेड़ और बकरी), सुअर और कुक्कुट का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है, नामतः

i. राष्ट्रीय गोकुल मिशन
ii. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम
iii. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि

iv. डेयरी कार्यकलापों में शामिल डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादन संगठनों की सहायता
v. राष्ट्रीय पशुधन मिशन
vi. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि
vii. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण
viii. राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम
ix. पशुधन संगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बोवाईनों के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित नई प्रौद्योगिकीयों को किसानों के लिए सुलभ बनाया गया हैः

- बोवाईनों के लिए आईवीएफ
- बोवाईनों सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग

(ग) बोवाईनों के दूध उत्पादन और उत्पादकता तथा आनुवंशिक गुणत्ता को सुधारने के लिए, विभाग आरजीएम के तहत देशी नस्लों के उच्च आनुवंशिक गुणत्ता सांडों के उत्पादन के लिए संतति परिक्षण और वंशावली चयन कार्यक्रम लागू कर रहा है। राष्ट्रीय डेयरी योजना-1 और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत विदेशी नस्लों के उच्च आनुवंशिक गुणत्ता सांडों का भी आयात किया गया है। देश में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज का विस्तार करने के लिए, विभाग ने राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एनएआईपी) शुरु किया है।

(घ) देश भर में राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंवटित और जारी निधियां अनुबंध में दी गई हैं।

(ड़) सरकार देश में दुग्ध प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना सहित डेयरी क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है, नामतः

(i) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) : राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा गुणवत्तापूर्ण दूध के उत्पादन के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुद्दढ़ीकरण, खरीद, प्रसंस्करण और दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के विपणन के लिए।
(ii) डेयरी प्रसंस्करण अवसंचना विकास निधि (डीआईडीएफ) : डेयरी प्रसंस्करण, प्रशीतन और (मूल्य संवर्धन अवसंरचना के निर्माण/आधुनिकीकरण/ विस्तार के लिए।
(iii) डेयरी कार्यकलापों में शामिल डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता (एसडीसी और एफपीओ) : डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादकता संगठनों को कार्यशील पूंजी के लिए सुलभ ऋण प्रदान करके सहायता करना और डेयरी किसानों को बाजार की स्थायी पहुंच प्रदान करना।
(iv) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि: डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना की सहायता के लिए।

***

अनुबंध

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम योजना (2014-15 से 2021-22) के तहत स्वीकृत परियोजना परिव्यय, केन्द्रीय हिस्सेदारी और जारी निधियों का राज्य-वार विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**कुल स्वीकृत परिव्यय**	**स्वीकृत केन्दीय हिस्सेदारी**	**जारी केन्द्रीय हिस्सा**
1	आंध्र प्रदेश	32.43	28.84	22.12
2	अरुणाचल प्रदेश	11.91	11.26	8.84
3	असम	34.36	32.65	4.55*
4	बिहार	263.23	210.19	204.07*
5	छत्तीसगढ़	23.39	20.96	11.14
6	गोवा	16.90	13.93	8.74
7	गुजरात	327.77	201.27	189.30
8	हरियाणा	25.24	21.33	15.17
9	हिमाचल प्रदेश	42.97	39.48	32.45
10	जम्मू और कश्मीर	151.12	139.81	77.10
11	झारखंड	20.94	17.66	7.19
12	कर्नाटक	175.19	125.52	72.49
13	केरल	130.20	97.51	97.02
14	मध्य प्रदेश	63.61	54.74	54.21
15	महाराष्ट्र	49.47	45.07	31.92
16	मणिपुर	30.29	27.85	23.41
17	मेघालय	45.66	41.25	27.57
18	मिजोरम	11.01	10.31	10.31
19	नागालैंड	13.06	12.15	8.20
20	ओड़ीसा	54.08	49.82	45.40
21	पुद्दुचेरी	3.42	3.25	3.22
22	पंजाब	124.97	83.58	81.72
23	राजस्थान	179.25	144.45	129.47
24	सिक्किम	32.83	30.53	30.48
25	तमिलनाडु	146.00	105.81	91.27
26	तेलंगाना	38.37	31.98	26.89
27	त्रिपुरा	22.92	20.26	14.22
28	उत्तर प्रदेश	79.85	66.49	44.59*
29	उत्तराखंड	41.60	33.72	33.48
30	पश्चिम बंगाल	4.03	3.93	3.63
	कुल	**2196.07**	**1725.61**	**1410.16**

*नोट- स्वीकृत लागत के लिए कम धनराशि जारी करने का कारण

असम- असम में स्वीकृत दो परियोजनाओं में से, एक परियोजना को पूरी तरह से और दूसरी को आंशिक रुप से बंद कर दिया गया था, क्योंकि राज्य परियोजना को लागू करने पर सहमत नहीं था।

बिहार- बिहार में स्वीकृत एक परियाजना को स्वीकृति के पश्चात् पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और पहली किस्त को वापिस कर दिया गया था, क्योंकि राज्य परियोजना को लागू करने पर सहमत नहीं था।

उत्तर प्रदेश-6 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। तथापि, उत्तर प्रदेश ने 4 परियोजनाओं के तहत जारी निधियों को पूरी तरह से और शेष 2 परियोजनाओं में आंशिक रुप से वापिस कर दिया था।

****

2. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ):

30.11.2021 तक, डीआईडीएफ के तहत, एनडडीबी और एनसीडीसी द्वारा 13 राज्यों से 39 परियोजनाओं को 3463.02 करोड़ रु. के ऋण घटक के साथ 5100.40 करोड़ रु. के कुल परिव्यय के साथ संस्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा, 1235.70 करोड़ रु. का ऋण संवितरित किया गया है। इसके अलावा, 45, एलएलपीडी दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता.3.4 एलएलपीडी क्षमता के साथ 113 बीएमसी, 165 एमटीपीडी सुखाने की क्षमता और 6.76 एलएलपीडी वीएपी क्षमता की स्थापना की गई है।

3. डेयरी कार्यकलापों में शामिल डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता (एसडीसीएफपीओ)

दिनांक 14.01.2022 तक, एनडीडीबी ने 10588.64 करोड़ रु. के कार्यशील पूंजीगत ऋण के लिए 2% प्रतिवर्ष की दर से 151.02 करोड़ रु. के राशि की ब्याज सबवेंशन की संस्वीकृति की सूचना दी है और वर्ष 2020-21 के लिए 154.74 करोड़ रु. (नियमित ब्याज सबवेंशन के रुप में 78.23 करोड़ रु. और अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन राशि के रुप में 76.51 करोड़ रु. जारी किये गये है। एनडीडीबी ने वर्ष 2021-22 के लिए 10910.30 करोड़ रु. के कार्यशील पूंजीगत ऋण के लिए 2% प्रतिवर्ष की दर से 157.83 करोड़ रु, के ब्याज सबवेंशन राशि के संस्वीकृति की सूचना दी है।

****